UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
F32097 पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ दिनांक 21-5-04

संदर्भ सं०: / सी–२ / ०४–जी.१२६–03/04

वैधता अवधि वर्ष ५

सेवा में,

मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
२१–ई.ब्लाक पनकी,कानपुर

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार~~ / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक १६–१०–०३ का संदर्भ लें आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

१. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–

(क) स्थल ___प्लाट नं० जी–४ यू०पी० एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र ,बिजौली,झाँसी

(ख) ट्रीटमेन्ट__जीव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मन १०००कि०ग्रा० / दिन

(ग) मुख्य कच्चे माल__अस्पताल / नर्सिंग होम्स से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट

(घ) औद्योगिक उत्पादह की मात्रा___(१)०.१०० कि०ली० / दिन बायलर ब्लो डाउन
(२)०.१०० फ्लोर / प्लांट वाशिंग (सोलर इवैपोरेशन पौंड)

(ङ) प्रयुक्त ईंधन.......डीजल ५० ली० / दिन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

२. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र,संयंत्र,हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें ।

३. उद्योग इकाई में परीक्षण संचालन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जीव चिकित्सा अपशिष्ट संबंधी प्राधिकार प्राप्त न कर लें । प्राधिकार प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम २ माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए । यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

उद्योग में परीक्षण संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए ।

घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा _०.०५० कि०ली० /दिन से अधिक नही होगी । सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए ।

६ प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 31-5-08 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए ।

७ परियोजना रिपोर्ट में इंगित परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाये ।

८ इन्वायरमेण्टल सर्वीलियन्स रिपोर्ट के प्रस्तर १२ के अनुसार पोस्ट इन्वायरमेंटल सर्वीलियेन्स की व्यवस्था रखी जाये ।

९ जीव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धिकरण / निस्तारण हेतु प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा जिससे निस्तारित होने वाला उत्प्रवाह स्लज बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको की प्राप्ति कर सके । पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर ई०टी०पी० की इकाइयों का पूर्ण विवरण प्रेषित किया जाए ।

१० वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से इन्सीनेटर / थर्मोक्लेव आदि संयंत्रों पर प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जिससे स्टैक / परिवेशीय वायु गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की प्राप्ति कर सकें ।

११ परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट (शुद्धिकरण के पश्चात्) का निस्तारण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर किया जाना सुनिश्चित करें ।

११ १५ कें०वी०ए० के डी०जी०सेट पर बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी एवं एकस्टिक इन्क्लोजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

१२ लोक दायित्व बीमा अधिनियम १९९१ के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

१३ पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष विलम्बतः ३० सितम्बर तक प्रेषित किया जाए ।

१४ पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना संयंत्र का संचालन प्रारम्भ होने के तीन माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

१५ आनसाइट इमरजेन्सी प्लान को तैयार कराकर कारखाना निदेशक की अनुमोदित प्रति प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

१६ विभिन्न हास्पिटल / नर्सिंग होम से जीव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन / एकत्रण / भण्डारण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जिससे आस-पास के वातावरण तथा परिवहन मार्गों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा संबंधित से हुए अनुबंधन की प्रतियाँ भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

१७ परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्ध एवं हथालन नियम २००३ के अन्तर्गत खतरनाक रसायनों का भण्डारण एवं प्रयोग सुनिश्चित किया जाए तथा खतरनाक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्राधिकार प्राप्त किया जाए ।

१८- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल जीव चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मन हेतु ही उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की दशा में ही मान्य है ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा । बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाए अथवा निरस्त कर दिया जाए । उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31-05-08 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए । अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० / एन०ओ०सी० तद् दिनांक

प्रतिलिपि:

१- [illegible] झांसी

२- मुख्य पर्यावरण अधिकारी(जीव चिकित्सा सेल), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

३- क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झांसी

४- नगर महापालिका / पालिका झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-२)

Medical Poll...